

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थित:- ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010074492025



Sessions Case/2751/2025
State of U.P. Vs. Ajay
सत्र परीक्षण संख्या-2751/2025

सरकार

बनाम आशु व अजय
मु0अ0सं0 321 / 2025
अ0 धारा 137 (2),65(1) बी0एन0एस0
एवं 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम
थाना हापुड देहात ,जिला हापुड ।

05.02.2026

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण आशु व अजय जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 137 (2),65(1) बी0एन0एस0, 3/4 (2)पोक्सो अधिनियम के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 20.02.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

दि0 05.02.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थित:- ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010074492025



Sessions Case/2751/2025
State of U.P. Vs. Ajay
सत्र परीक्षण संख्या-2751/2025

सरकार

बनाम आशु व अजय

मु0अ0सं0 321 / 2025

अ0 धारा 137 (2), 65(1) बी0एन0एस0

एवं 3/4 (2) पोक्सो अधिनियम

थाना हापुड देहात , जिला हापुड ।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतद्वारा आप अभियुक्तगण आशु व अजय पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमतः :- यह कि दिनांक 20.09.2025 को समय सुबह 08.00 बजे से शाम 3.00 बजे के मध्य होटल सम्राट पैलेस गढ़ रोड हापुड बहद हापुड देहात , जिला हापुड में आप अभियुक्त अजय ने वादी की अव्यस्क सगी बहन "वी" / पीडिता-1 उम्र करीब 14 वर्ष 3 महीने (16 वर्ष से कम) एवं अभियुक्त आशु ने वादी की अव्यस्क तहेरी बहन "टी" / पीडिता-2 उम्र करीब 13 वर्ष 9 महीने (16 वर्ष से कम) की लज्जा भंग करने के आशय से उनकी विधिक संरक्षकता से व्यपहरण किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की धारा 137(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

द्वितीयतः :- यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आप अभियुक्त अजय ने वादी की अव्यस्क सगी बहन "वी" / पीडिता-1 उम्र करीब 14 वर्ष 3 महीने (16 वर्ष से कम) एवं अभियुक्त आशु ने वादी की अव्यस्क तहेरी बहन "टी" / पीडिता-2 उम्र करीब 13 वर्ष 9 महीने (16 वर्ष से कम) से बलात्संग किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 65(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

तृतीयत :- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त अजय ने वादी की अव्यस्क सगी बहन "वी" / पीडिता-1 उम्र करीब 14 वर्ष 3 महीने (16 वर्ष से कम) एवं अभियुक्त आशु ने वादी की अव्यस्क तहेरी बहन "टी" / पीडिता-2 उम्र करीब 13 वर्ष 9 महीने (16 वर्ष से कम) पर प्रवेशन लैंगिक हमला किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

दि0 05.02.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट /
हापुड ।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया ।
अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की माँग की ।

दि0 05.02.2026

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट /
हापुड ।